अनुलग्नक – 1

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 17-11- 2008

...–4/न0–विधि 101/3 5561 /न0वि0एवंआ0वि0 भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में निहित ...क्तियों को प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–(1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका पदाधिकारी (नियुक्ति, और सेवा शर्त्त) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषायें।– इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय अथवा सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007

(ख) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, वह तिथि जिस तिथि को यह नियमावली प्रंवृत हुई हो;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार;

(घ) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ङ) "उपाधि" से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि;

(च) "निदेशक" से अभिप्रेत है बिहार के स्थानीय निकायों का निदेशक;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ज) "नगर पालिका" से अभिप्रेत है एक स्वायत्तशासी संस्था और इसमे शामिल हैं नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत;

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना के अध्यधीन गठित बिहार नगरपालिका पदाधिकारी की सेवा तथा

(ञ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 तथा इसके अध्यधीन बनाई गई नियमावली में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों;

अध्याय – 2

3. नगरपालिका पदाधिकारी का स्वरूप।– (i) बिहार राज्य नगरपालिका पदाधिकारी सेवा, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के क्रमशः श्रेणी I, II एवं III को प्रतिनिधित्व करने वाली कोटि I, कोटि II और कोटि III को एक साथ मिलाकर होगी। राज्य स्तरीय सेवा होगी तथा इन तीनों कोटि में नियुक्त पदाधिकारी को बिहार राज्य में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकेगा। शहरी स्थानीय निकाय, यथा नगरनिगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की आस्थिति के अनुसार नगरपालिका पदाधिकारी सेवा बल का समय समय पर राज्य सरकार द्वारा समीक्षा कर निर्धारित किया जायेगा

परन्तु सामान्यतः कोटि I के पदाधिकारी को नगर निगम, कोटि II के पदाधिकारी को नगर परिषद और कोटि III के पदाधिकारी को नगर पंचायत में पदस्थापित किया जा सकेगा।

(2) नगरपालिका कार्यपालक पदाधिकारियों की सेवा वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान में होगी।

4. **सेवा में नियुक्ति की पद्धति।**– (1) सेवा की कोटि II के सिद्ध मेधा एवं दक्षता वाले और कोटि में कम से कम विहित कालावधि पूर्ण करने वाले पदाधिकारियों के बीच से प्रोन्नति द्वारा कोटि I के सभी पदों पर की जायेगी।

(2) सेवा की कोटि II के पदों पर निम्नलिखित रीति से नियुक्ति की जाएगी:–

(क) सीधे चयन से, और

(ख) नगरपालिका पदाधिकारी संवर्ग की कोटि III के वैसे व्यक्तियों के बीच से प्रोन्नति द्वारा जो इस प्रयोजनार्थ विहित जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण, सिद्ध मेधा और दक्षता वाले हों तथा कम से कम विहित कालावधि तक कार्य कर चुके हों:

परन्तु जब नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ऊपर उल्लिखित अनुभव वाले व्यक्ति प्रोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं हैं और लोकहित में कम अवधि के अनुभव वाले व्यक्ति की प्रोन्नति द्वारा पदों को भरा जाना अनिवार्य है, तो अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वैसे व्यक्ति, जो विहित कालावधि से अल्प का अनुभव रखता हो को प्रोन्नति दे सकेगा; अथवा

(ग) सीधे चयन और प्रोन्नति से नियुक्ति का अनुपात 1:1 होगा।

(3) सेवा की कोटि III के सभी पदों पर नियुक्ति सीधे चयन के द्वारा की जायेगी।

(4) कोटि II या III में सीधी भर्ती से नियुक्त सभी नगरपालिका पदाधिकारी को अपेक्षानुसार समय-समय पर सरकार द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना पड़ेगा।

(5) सीधे चयन से नियुक्त सभी नगरपालिका पदाधिकारी को सरकार द्वारा विहित प्रतिभूति और प्रतिभू अनुबंध अपेक्षानुसार प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोटि II के पदों पर सभी नियुक्ति, सीधे चयन से, आयोग के परामर्श से की जायेगी;

परन्तु सरकार की अधियाचना पर राजपत्रित पदाधिकारियों के चयन के लिये संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा चयनित और अनुशंसित व्यक्तियों की सीधी नियुक्ति की जा सकेगी।

(7) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ सेवा में कोई वैसा पद सीधी भर्ती या प्रोन्नति से, यथास्थिति, भर्ती के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी की अप्राप्यता के कारण रिक्त है। या जहाँ सेवा में कोई पद किसी के अवकाश के कारण या अस्थायी रुप से रिक्त है।, उपयुक्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा से भरा जा सकेगा।

(8) सेवा में कोटि II और कोटि III के पदों पर सीधे चयन द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को

(क) 21 वर्ष की न्यूनतम आयु और सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर विभिन्न श्रेणीयों के लिए सेवा में प्रवेश के लिए यथाविहित अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत होना आवश्यक होगा।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री की उपाधि प्राप्त होना आवश्यक होगा।

(9) नगरपालिका पदाधिकारी सेवा के सदस्यों का पद राजपत्रित पदाधिकारी के कोटि का होगा।

परीक्ष्यमान अवधि।–(1) (i) नगरपालिका पदाधिकारी की कोटि ।। एवं कोटि ।।। के पदों पर सीधे चयन द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्ष्यमान नियुक्ति होगी। इस अवधि में पदाधिकारी को वैसे प्रशिक्षण में जाना होगा और वैसी परीक्षाओं मे उत्तीर्ण होना पड़ेगा जो राज्य सरकार सामान्य या बिशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।

(ii) सरकार एक पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि को एक वर्ष से अनधिक अवधि तक के लिए बढ़ा सकेगी–

(क) यदि वह विहित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो अथवा

(ख) यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि तक प्रशिक्षण पूर्ण करने में असफल रहा हो।

(iii) कोटि ।। एवं कोटि ।।। के परीक्ष्यमान नगरपालिका पदाधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि तक विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने में असफल रहे हैं या विहित परीक्षायें विहित कालावधि में और विहित अधिकतम अवसरों में उत्तीर्ण होने में असफल रहे हैं, सेवा से पदमुक्त कर दिये जायेंगे।

(iv) परीक्ष्यमान अवधि की संतोषजनक समाप्ति पर और विहित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पदाधिकारी सेवा की कोटि में, जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है, सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

(2) कोटि । एवं ।। के पदों पर प्रोन्नति से हुई नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए औपबंधिक होगी और वैसी अवधि में संतोषजनक कर्त्तव्य पालन के आधार पर उसकी नियुक्ति सम्पुष्ट की जा सकेगी। सम्पुष्टि नहीं होने पर पदावनत कर दिया जायेगा।

अध्याय – 3

सेवा की शर्त्तें

6. पदाधिकारियों की वरीयता।– (1) सेवा की कोटि ।। एवं कोटि ।।। के समायोजित पदाधिकारियों की परस्पर वरीयता नगरपालिका पदाधिकारी के रुप में समायोजन के पूर्व दी गई सेवा काल की लम्बाई के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(2) सेवा की कोटि । या ।। में प्रोन्नत पदाधिकारियों की परस्पर वरीयता निम्नलिखित रुप से निर्धारित की जायेगी, यथा –

(i) यदि वे विभिन्न तिथियों को प्रोन्नत हुये हैं तब उनकी प्रोन्नति की तिथि के अनुसार,

(ii) यदि वे एक ही तिथि को प्रोन्नत हुये हैं तब वे जिस कोटि से प्रोन्नत हुये हैं उसमें उनकी वरीयता के आधार पर।

(3) सेवा की किसी कोटि में एक ही बैच में सीध चयन से नियुक्त पदाधिकारियों की परस्पर वरीयता आयोग द्वारा व्यवस्थित योग्यता क्रम में उनके स्थान के अनुसार निर्धारित की जायेगी, यदि वे नियुक्ति आदेश प्राप्ति की तिथि के एक माह या वैसी विस्तारित अवधि यथा नियुक्त प्राधिकारी अनुमति दे, के भीतर अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करते हैं; और, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार यदि वे पूर्वोक्त अवधि के भीतर सेवा में पदभार ग्रहण करने में विफल होते हैं।

(4) सीधे चयन द्वारा नियुक्त पदाधिकारी एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की परस्पर वरियता का निश्चय इस प्रकार होगा ताकि नियम 4 (2) (ग) में उल्लिखित पदों के अनुपात का अवहेलना न हो।

परन्तु राज्य सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार वरीयता निर्धारण कर सकेगी।

7. कर्मचारियों के बीच से सीधे चयन द्वारा नियुक्त नगरपालिका के पदाधिकारी की सेवा शर्त्तें निम्नलिखित आधार पर विनियमित की जायेंगी–

(i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद के वेतनमान के होते हुये भी, जो कर्मचारी इस नियमावली के नियम 4 के अध्यधीन सीधे चयन से नियुक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी की सेवा शर्त्तों, वेतन, भत्ता, अन्य सुविधायें और तत्संबंधी दायित्व बिहार सेवा संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रुप में नियुक्ति से ठीक पहले लिये गये अंतिम वेतन को विचार में लेकर निर्धारित की जायेगी।

(ii) इस नियमावली के नियम 4 के अध्यधीन कर्मचारियों के बीच से सीधे चयन से नियुक्त कोटि । एवं कोटि ।। का नगरपालिका पदाधिकारी, नियुक्ति की तिथि को जहां वह कार्यरत था, उसके अवकाश लेखा का कुल अवकाश, यदि कोई हो नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रुप में उसके अवकाश लेखा में आगे गिना एवं जमा हो जायेगा और संबंधित संस्थान उस हद तक उसके अवकाश वेतन का अंशदान राज्य सरकार को भुगतान करेगी।

8. नगरपालिका निधि से राज्य सरकार को भुगतेय लागत एवं व्यय – इस नियमावली के प्रावधानों के अध्यधीन नगरपालिका सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों पर राज्य सरकार द्वारा किया गया लागत एवं व्यय, यदि कोई हो, प्रतिवर्ष नगरपालिका निधि से राज्य सरकार को प्रतिपूर्त्ति किया जायेगा।

9. कठिनाइयों का निराकरण।– इस नियमावली के कार्यान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा इसके कार्यान्वयन से किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो राज्य सरकार को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार होगा जिससे कि उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण हो सके एवं कार्यान्वयन के क्रम में हुये अन्याय का शमन हो सके;

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रवृत होने के पाँच वर्षों के बाद ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा।

10. वरीयता सूची का संधारण।– इस नियमावली के प्रावधानों के अध्यधीन निदेशक द्वारा सभी कोटियो की सेवाओं की वरीयता सूची संधारित की जायेंगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से

Ranjan 13/11

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग